

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि० कक्ष संख्या-3,रामपुर।
परिवाद संख्या 517 सन 2009

ई०फाईल नम्बर:- 090501023802007

श्रीमती राम श्री शर्मा प्रति विनोद

धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम

थाना सिविल लाईन्स,रामपुर।

आदेश

12-11-2014- पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। परिवादी श्रीमती रामश्री शर्मा के पश्चात परिवादी के पुत्र श्री प्रेमशंकर शर्मा के द्वारा वाद संचालित करने की अनुमति चाही गयी थी। न्यायालय के द्वारा दिनांक 16-08-2014 को परिवादी को वाद की कार्यवाही अग्रसारित किये जाने की अनुमति भी दी जा चुकी है,लेकिन परिवादी के द्वारा न्यायिक कार्यवाही मे सहयोग नहीं किया जा रहा है। परिवादी अभियुक्त पर तामीला हेतु 03 दिन के अन्दर पैरवी करे। तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र 20हजार रुपये का जारी हो। पत्रावली दिनांक 06-12-2014 को पेश हो।

(आजाद सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजि०
कोर्ट संख्या-3,रामपुर।